

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

18 मई, 2023 ई0

संख्या 112/VIII-1/23-147(श्रम)/2001-राज्यपाल, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 (अधिनियम संख्या-XXX वर्ष 1979) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 के स्पष्टीकरण सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (1904 का 01) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्या 1745(1)/VIII/14-56(श्रम)/2014, दिनांक 10 फरवरी, 2014 का अधिक्रमण करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 16 एवं इस धारा के प्रयोजनार्थ अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित अधिकारियों को अपनी क्षेत्राधिकारिता हेतु "विशिष्ट प्राधिकारी" नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुसूची

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड कार्यालय में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	समस्त उत्तराखण्ड राज्य।
2	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हल्द्वानी में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद नैनीताल।
3	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, ऊधमसिंह नगर में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद ऊधमसिंह नगर।
4	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, देहरादून में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद देहरादून एवं उत्तरकाशी।
5	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हरिद्वार में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद हरिद्वार।
6	सहायक श्रम आयुक्त, अल्मोड़ा।	जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।
7	सहायक श्रम आयुक्त, पिथौरागढ़।	जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत।
8	सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश।	जनपद टिहरी गढ़वाल एवं तहसील ऋषिकेश।
9	सहायक श्रम आयुक्त, कोटद्वार।	जनपद पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग एवं चमोली।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव।

(2)

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 112/VIII-1/23-147-Labour/2001, Dated- May 18, 2023 for general information.

NOTIFICATION

May 18, 2023

No.112/VIII-1/23-147-Labour/2001—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Service-Condition) Act, 1979 (Act No.- XXX of the year 1979) (as prevalent in the State of Uttarakhand) and by the clarification, in this regard, read with Section-21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (01 of 1904), the Governor by superseding the earlier notification No. 1745(1)/VIII/14-56(Labour)/2014, dated: February 10, 2014, pleased to appoint the Officers as "Authorities" mentioned in column-2 of the schedule below, to exercise the powers conferred by Section-16 of the said Act, for the purposes of this section, in their respective jurisdiction mentioned in column-3 of the schedule below:-

Schedule

S.No.	Designation of the Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1	All Assistant Labour Commissioner posted in the office of Labour Commissioner, Uttarakhand	Whole state of Uttarakhand.
2	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Haldwani	District Nainital
3	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar	District Udham Singh Nagar
4	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Dehradun	District Dehradun and Uttarkashi
5	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Haridwar	District Haridwar
6	Assistant Labour Commissioner, Almora	District Almora and Bageshwar
7	Assistant Labour Commissioner, Pithoragarh	District Pithoragarh and Champawat
8	Assistant Labour Commissioner, Rishikesh.	District Tehri Garhwal and Rishikesh
9	Assistant Labour Commissioner, Kotdwar.	District Pauri Garhwal, Rudraprayag and Chamoli

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDARAM,

Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 17-06-2023, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 अम/292-31-07-2023-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।